मौसम

तापमान	नई दिल्ली
अधिकतम–34.4 डि.से.	सूर्योदय– 6:06
न्यूनतम– 25.2 डि.से.	सूर्यास्त– 18:27

खबरों में शहर

निजी स्कूलों में बढ़ी बच्चों की संख्या : माकन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा है। मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने आंकड़ों के हवाले से दावा किया कि सरकारी स्कूलों में 1.28 लाख बच्चों की कमी आई है। माकन ने कांग्रेस के कार्यकाल 2013 व 2019 के आंकड़ों के आधार पर यह दावा किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान निजी स्कूलों में 3.04 लाख बच्चे बढ़े हैं। इसे अजय माकन ने दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल बताया है।

अजय माकन ने ट्वीट कर 2010 के बाद से लेकर 2018-19 तक के आंकड़ों के आधार पर यह दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किस तरह से बच्चों के स्कूल पंजीकरण का आंकड़ा बढ़ रहा था। यह आंकड़ा 2009-10 में 12.28 लाख तक पहुंचा था और 2013-14 तक बढ़कर 13.57 लाख तक पहुंच गया था। इसके बाद से ही सरकारी स्कूलों में पंजीकरण का आंकड़ा लगातार गिर रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 में ऐसा हुआ कि सरकारी स्कूल से ज्यादा बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

दिल्ली सरकार के स्कूलों में 16.47 लाख बच्चे थे, जो निजी स्कूल में 16.61 लाख गए थे। 2013-14 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में निजी स्कूलों की तुलना में 4.18 लाख बच्चे ज्यादा थे। उन्होंने सवाल किया है कि 2013 से पहले निरंतर बच्चों की संख्या बढ़ रही थी, आप सरकार आने के बाद ये बच्चे निजी स्कूलों में पलायन कर गए? सरकारी स्कूलों में 2013 में 17.75 लाख बच्चे थे जो 2018-19 में घटकर 16.47 लाख बच्चे हो गए हैं। जबकि निजी स्कूलों में यह आंकड़ा 2013 में 13.57 लाख था जो 2019 में 16.61 लाख हुआ है। उन्होंने दिल्ली सरकार से इस मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब मांगा है।

भारतीय जनसंचार संस्थान में हिंदी पखवाड़ा शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

कोरोना काल के दौरान भाषाई पत्रकारिता में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ है। इस दौर में डिजिटल मीडिया क्षेत्रीय अखबारों का सबसे बड़ा सहयोगी बनकर सामने आया है। डिजिटलीकरण ने पत्रकारों और पत्रकारिता को एक नई ताकत दी है। यह विचार महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के कुलपति रजनीश कुमार शुक्ल ने भारतीय जन संचार संस्थान (आइआइएमसी) द्वारा हिंदी पखवाड़े के शुभारंभ पर आयोजित वेबिनार में व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के महानिदेशक संजय द्विवेदी ने की। इस अवसर पर संस्थान के डीन गोविंद सिंह, शिफाली पांडे, रोशन गौड़ एवं भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष आनंद प्रधान भी उपस्थित थे। प्रो. शुक्ल ने कहा कि भाषाई पत्रकारिता का सीधा संबंध क्षेत्रीय आकांक्षाओं से है। क्षेत्रीय पत्रकारिता का स्वरूप जनता और परिवेश की बात करता है। इसलिए उसका प्रसार बढ़ रहा है। संजय द्विवेदी ने कहा कि भाषाई पत्रकारिता को हम भारत की आत्मा कह सकते हैं। आज लोग अपनी भाषा के समाचार पत्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन विष्णुप्रिया पांडेय एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. प्रतिभा शर्मा ने किया।

तिहाड़ जेल में फिर झड़प, दो कैदी हुए घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

तिहाड़ जेल में सोमवार रात को एक बार फिर कैदियों के दो गुटों में लड़ाई हो गई। कैदियों पर धारदार वस्तुओं से वार किया गया था। इस घटना में दो कैदी घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान विकास ढुल और दिनेश के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि दो अलग-अलग घटनाएं हैं। झड़प के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों घायलों को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है।

पश्चिमी जिला पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि दोनों हमले तिहाड़ के जेल नंबर तीन में हुए। धोखाधड़ी के एक मामले में बंद कैदी विकास ढुल पर रविवार को विकास चोपड़ा ने सर्जिकल ब्लेड से हमला कर दिया। ढुल को चेहरे पर चोटें आईं और उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। जेल अधिकारियों के मुताबिक एक अन्य विचाराधीन कैदी विजय पर दिनेश नामक एक अन्य कैदी ने धातु से बने धारदार हथियार से हमला कर दिया। विजय को पीठ चोटें आईं। उसे इलाज के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। विजय का बयान दर्ज किया गया और हरिनगर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत मामला दर्ज किया गया। इससे पहले भी 12 सितंबर को तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें दो कैदी घायल हो गए थे।

दिल्ली दंगे : अदालत ने गोधरा मामले को माना नजीर

धर्म के आधार पर अलग सुनवाई

नई दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा)।

गोधरा दंगे के मामलों की हुई सुनवाई की नजीर देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि वह आरोपियों की अलग-अलग सुनवाई को उचित मानते हैं ताकि 'उनका बचाव किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं हो।' उन्होंने कहा, 'इसी तरह की स्थिति गुजरात की अदालत के समक्ष गोधरा सांप्रदायिक दंगे मामलों की सुनवाई के दौरान उत्पन्न हुई थी...जहां पर उच्च न्यायालस ने दो अलग-अलग समुदायों के आरोपियों के मामलों को अलग-अलग सुनवाई की अनुमति दी थी।'

गुजरात के गोधरा दंगों से जुड़े मामलों को नजीर मानते हुए दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान 24 वर्षीय एक युवक की हत्या के आरोपियों की सुनवाई उनकी धार्मिक आस्था के आधार पर अलग-अलग करने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि विचाराधीन कैदियों का एक 'वर्गीकरण' है और एक साथ सुनवाई से उनके बचाव पर पूर्वाग्रह का असर पड़ सकता है क्योंकि वे हिंदू-मुसलिम धर्म से संबंध रखते हैं।

गौरतलब है कि 24 फरवरी, 2020 को दिल्ली के शिवविहार में दंगाई भीड़ द्वारा दंगे के मामले में दर्ज प्राथमिकी में तीन हिंदुओं और दो मुसलिमों की सुनवाई एक साथ होनी थी और उनपर दंगे फैलाने, आगजनी और सलमान नामक व्यक्ति की हत्या का मामला दर्ज है। अदालत में अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि क्या अलग-अलग धर्मों के व्यक्तियों की एक साथ सुनवाई हो सकती है जिनपर दो अलग साजिश में शामिल होने और गैरकानूनी तरीके के जमा होने के आरोप हैं। इसपर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों का बचाव निश्चित तौर पर पूर्वाग्रह से प्रभावित होगा क्योंकि वे अलग-अलग धर्मों से जुड़े हैं।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस आयुक्त (अपराध) शाखा जॉय एन तिर्की को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर आरोप पत्र को बदलाव के साथ पूर्ण रूप से मुद्रित अवस्था में पेश करें। उन्होंने कहा, 'इसलिए अदालत के अहलमाद (अदालत अधिकारी) को निर्देश दिया जाता है कि वह प्राथमिकी में अलग-अलग सत्र मामला क्रमांक डाले और मौजूदा आरोप पत्र को तीन आरोपियों कुलदीप, दीपक ठाकुर और दीपक यादव से जुड़े मामले के तौर पर अलग समझा जाए जबकि अन्य आरोप पत्र मोहम्मद फरकान और मोहम्मद इरशाद के मामले से जुड़ा समझा जाए।'

मामले की सुनवाई अलग-अलग करने का फैसला अदालत द्वारा आरोप तय करने के बाद आया। आरोपियों के खिलाफ धारा- 147 , 148, 149, 153ए, 302, 436, 505, 120 बी, 34 के तहत आरोप तय किया है।

नाराजगी तालिबान को समर्थन देने पर पाकिस्तान का विरोध करते भारत में रहने वाले अफगानी शरणार्थी। फोटो : जनसत्ता

दंगा मामले में शिअद नेता मनजिंदर सिरसा बरी

नई दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और चार अन्य को नवंबर 2012 में यहां गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में दंगा करने के एक मामले में मंगलवार को बरी कर दिया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) की बैठक के दौरान दंगा करने और दूसरों को चोट पहुंचाने के आरोपियों सिरसा, मंजीत सिंह जीके, कुलदीप सिंह भोगल, परमजीत सिंह राणा और चमन सिंह को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

संदिग्ध आतंकियों के तार दाउद से जुड़े, पुलिस ने बताया

डॉन के गुर्गे देश में आतंकी हमले की साजिश में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल सेल) के उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों ने कई खुलासे किए हैं।

आतंकियों ने बताया कि देश में अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के गुर्गे आज भी स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं। इन आतंकियों को आतंकी हमला करने के लिए आरडीएक्स (आइईडी, विस्फोटक), ग्रनेड (हथगोले), पिस्तौल और कारतूस स्लीपर सेल को मुहैया करवाना था।

> पुलिस का कहना है कि आइएसआइ अब भारतीय युवाओं का बरगला कर आतंकी वारदातों में शामिल कर रहा है

यह सब कुछ उत्तर प्रदेश में इनकों दिया जाना था। इसके बाद जान मोहम्मद के साथ मूलचंद को दिल्ली में फंडिंग की जाती। इसका फंडिंग दाउद का भाई अनीस इब्राहिम करता। यहां से मिले फंड को अन्य आतंकियों को दिल्ली और मुंबई के अलावा देश के अन्य हिस्सों में इस मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों को दिया जाना था। इस मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान आइएसआइ अब भारतीय युवाओं को बरगला कर आतंकी वारदातों में शामिल करने पर जोर दे रहे हैं।

उपायुक्त ने बताया कि धमाके का स्थान का पता लगाने के बाद और अधिक आरडीएक्स सीमा पार आइएसआइ को भेजना था। यह सब कुछ हवाला के जरिए किया जाना था। उपायुक्त का कहना है कि अब उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, जो दाउद के लिए स्लीपर सेल के तौर पर भारत में अब भी काम कर रहे हैं।

कुशवाहा ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि ओसामा 22 अप्रैल, 2021 को लखनऊ से हवाई जहाज से पहले मस्कट, अमन गया। वहां वह जशीन से मिला, जो कि इलाहाबाद का रहने वाला है। उसके बाद दोनों प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान गए, जहां से प्रशिक्षित होकर भारत लौटे।

उन दोनों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान सीमा पार पाकिस्तान में 15 ऐसे लोग मिले, जो बांग्ला भाषा में बातचीत करते थे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे बांग्लादेश के हो सकते हैं। इन सभी को दो समूहों में बांटा गया था। ओसामा और जशीन दोनों एक ही समूह में थे। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है और इनसे भी पूछताछ जारी है।

समुद्र मार्ग से पहुंचे पाकिस्तान, लिया प्रशिक्षण

उपायुक्त ने बताया कि पाकिस्तान पहुंचने के लिए इन आतंकियों ने समुद्री मार्ग को चुना। छोटे-बड़े जहाजों की मदद से पाकिस्तान के नया ग्वादर बंदरगाह पर पहुंचे। एक पाकिस्तानी के साथ एक मकान में गए जहां तीन अन्य पाकिस्तानी नागरिक मिले। इनमें से दो के नाम जब्बार और हामजा बताया जा रहा है। दोनों ने पाकिस्तान सेना के कपड़े पहने हुए थे। दोनों को 15 दिनों के लिए वहां रखा गया जहां आइएसआइ के अधिकारी प्रशिक्षण देते हैं। दोनों ने बम और विस्फोटक बनाना और हथियार चलाने का प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्हें एक-47 चलाने का भी प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि कैसे छोटे हथियारों को छुपाया जा सकता है। 15 दिनों तक पाकिस्तान में प्रशिक्षित होने के बाद वे उसी रास्ते से पहले मस्कट लौटे। उसके बाद भारत लौट आए।

डीयू : अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का पत्र जारी, विरोध में शिक्षक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली,14 सितंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में शिक्षकों की स्थायी बहाली की मांग के बीच विवि के कुलपति ने अतिथि शिक्षक रखने का नोटिस जारी किया है। पहला परिपत्र राजनीतिक विज्ञान विभाग में जारी किया गया है जिसमें 18 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए। विवि प्रशासन के पत्र में कहा गया है कि वह अपने यहां तदर्थ पदों के स्थान पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करें।

यह परिपत्र ऐसे समय में जारी किया गया है जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालयों में स्थायी नियुक्ति कर खाली पदों को भरने की बात सार्वजनिक मंच से कर रहे है। यह मुद्दा विश्वविद्यालय में तूल पकड़ने को तैयार है। शिक्षक व शिक्षक संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है की ऐसे परिपत्र जारी होने से अस्थाई नियुक्ति की मुहिम कमजोर पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) ने भी राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा एडहॉक टीचर्स के पदों को समाप्त कर उन्हें अतिथि शिक्षक में तब्दील किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी से मांग की है कि वहां स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति हो। डीटीए के अध्यक्ष डॉ. हंसराज सुमन ने कहा कि विभाग व कॉलेज गेस्ट टीचर्स की आड़ में धीरे -धीरे स्वीकृत पदों को समाप्त किया जा रहा है।

ईदगाह में बहुमंजिला पार्किंग को डीडीए की मंजूरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

ईदगाह में जल्द ही एक बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। पार्किंग निर्माण योजना को मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक में पेश किया गया। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता वाली इस बैठक में डीडीए के इस मसविदे को मंजूरी दी गई है।

इस मसविदे को जमीन का भूपयोग बदलने के लिए पेश किया गया था। यहां पर जल्द ही बहुमंजिला कार पार्किंग तैयार की जाएगी।

डीडीए ने ईदगाह स्थित 2.5 हेक्टेयर वाली इस जमीन का भूपयोग आवासीय से परिवहन परियोजना के लिए बदलने का मसविदा बोर्ड को भेजा था। आपत्तियां व सुझाव लेने के बाद मामले को बोर्ड के सामने लाया गया। अब यह मामल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद उत्तरी निगम व दिल्ली मेट्रो को नबी करीब मेट्रो स्टेशन निर्माण में मदद मिलेगी। इस योजना पर निगम व मेट्रो मिलकर काम करेंगे।

2041 मास्टर प्लान पर जन सुनवाई व सुझाव के लिए बनेगा बोर्ड : बोर्ड ने मास्टर प्लान 2041 के लिए आम जनता के सुझाव व आपत्तियों के लिए एक समिति गठन का भी फैसला लिया है। इस बोर्ड की अध्यक्षता डीडीए बोर्ड के उपाध्यक्ष करेंगे। अब इस मसविदे को डीडीए विकास प्राधिकरण के माध्यम से केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

कालकाजी में बने फ्लैट की आबंटन प्रक्रिया शुरू करेंगे : कालकाजी में तीन जेजे कलस्टर की 8461 झुग्गियां हैं। इनके पुनर्वास के लिए 2011 में कार्य योजना तैयार की गई थी।

दुर्व्यवहार पर वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू

नई दिल्ली, 14 सितंबर। दिल्ली की एक अदालत ने न्यायाधीश की ओर से बार-बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी अदालत कक्ष में कथित रूप से दुर्व्यवहार करने और ऊंची आवाज में बोलते रहने के आरोप में एक वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की है।

अदालत के आदेश के अनुसार आठ सितंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद की अदालत में नियमित सुनवाई के दौरान एक वकील ने अभियोजक के साथ ्बहुत ऊंची आवाज में बहस करते हुए आरोप लगाया कि वह उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जज द्वारा बार-बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी वकील ऊंची आवाज में ही बोलते रहे। इस पर न्यायाधीश ने उनसे इस संबंध में लिखित जवाब मांगा। दस सितंबर को वकील ने यह सूचित किए जाने के बाद भी कि उनका ऐसा रुख अपराध माना जा सकता है, स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया। **(जसं)**

कोविड-19 के 38 मामले

नई दिल्ली, 14 सितंबर। दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 के 38 नए मरीज मिले तथा संक्रमण दर 0.05 फीसद दर्ज की गई।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस महीने कोविड-19 से मंगलवार को भी किसी मरीज की जान नहीं गई। चौबीस घंटे में 70000 से ज्यादा को कोरोना हुआ। मंगलवार को 15 लोग करोना से ठीक भी हुए। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के 38 मरीज मिलने के बाद कुल मामले 14,38,288 हो गए हैं। **(जसं)**

सब्जी मंडी हादसा

भूतल पर दुकान चलाने वाला गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

सब्जी मंडी थाना क्षेत्र के मलका गंज इलाके में सोमवार को जिस मकान के गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई थी उस मकान के भूतल पर दूध की दुकान चलाने वाले दुकानदार को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। शख्स की पहचान मोहक अरोड़ा (26) के तौर पर की गई है। आरोपी ने अभी हाल में ही दुकान खरीदी थी।

पुलिस ने बताया कि दुकानदार पर आरोप है कि वह निर्माण कार्य करा रहा था, जिससे इमारत कमजोर हुई। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त अंटो अल्फोंस ने मंगलवार को बताया कि सब्जी मंडी थाना पुलिस ने मोहक अरोड़ा पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 (गैर इरादतन हत्या), 288 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अरोड़ा ने अपनी दुकान में चल रहे मरम्मत कार्य के दौरान इमारत के भूतल से एक प्लेटफॉर्म निकलवा दिया था, जिससे इमारत कमजोर हो गई और सोमवार सुबह को ढह गई। इमारत के गिरने से सौम्य (12) और प्रशांत (7) की मौत हो गई थी।

विज्ञापन संख्या : 60/2021
भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
में
निदेशक (वित्त)
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है ।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18th नवंबर, 2021 (15.00 बजे तक) है ।
जानकारी के लिए वेबसाइट
http://www.pesb.gov.in
में लॉग इन करे ।

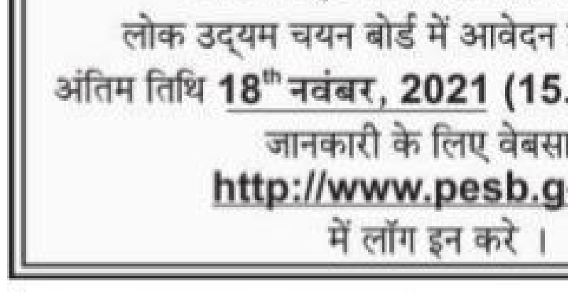

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम)
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी तथा रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत की अग्रणी पेशेवर कंपनी को इसकी बेंगलूरु यूनिट के लिए तुरंत नियुक्ति / पुनः रोजगार के आधार पर वायु सेना में कार्यरत / सेवानिवृत अधिकारियों की आवश्यकता है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को दिनांक 27.09.2021 तक बढ़ाई गई है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.bel-india.in को देखें।
हा/-
प्रबंधक (मा.सं.) ईडब्ल्यू एंड ए एंड क्यू ए
'हर एक काम देश के नाम'

PHD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Registered Office: PHD House, 4/2 Siri Institutional Area August Kranti Marg New Delhi-110016
CIN: U74899DL1951NPL001947
Website: www.phdcci.in **Email ID:** vivek.seigell@phdcci.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E -VOTING & REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the PHD Chamber of Commerce and Industry ("Chamber") is scheduled to be held on Thursday, September 30, 2021, at 05:45 p.m. (IST) through video conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 ("the Act") and rules made thereunder read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and January 13, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") to transact the business, as set out in the Notice of AGM ("the notice").

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Chamber has appointed Central Depository Services Limited (CDSL) to provide facility to attend the AGM through VC / OVAM along with the e-voting/ remote e-voting ('e-voting') facility for the AGM.

The electronic dispatch of the notice has been made through the e-mail to all the members of the Chamber at the e-mail addresses registered with the Chamber. The dispatch of notice has been completed on Monday, September 13, 2021. The Notice of AGM is available on the Chamber's website www.phdcci.in and on the website of CDSL at www.evoting.cdsl.in

The remote e-voting will commence on Monday, September 27, 2021 (9:00 a.m. IST) and ends on Wednesday, September 29, 2021 (5:00 p.m. IST). The cut-off date for determining the eligibility to vote through electronic means or at the AGM is Thursday, September 23, 2021. The members whose names are appearing in the Register of members as on the cut-off date shall only be entitled to avail the remote e-voting facility/ voting at the AGM. The Chamber, being a company limited by guarantee, do not have the share capital, therefore every member of the company shall have one vote. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. The instructions for e-voting are provided in the Notice, which is available on the website of the Chamber.

Any person, who becomes the member of the Chamber after the dispatch of the Notice and their names are appearing in the Register of members as on the cut-off date i.e September 23, 2021 may obtain the login id and password by sending a request at evoting@cdsl.in. The facility for voting through electronic means shall also be made available at the AGM. The members, who will be attending the AGM through VC / OAVM and have not already cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the AGM.

Members who have voted through remote E-voting will be eligible to attend the AGM. However they will not be eligible to vote at the AGM. Members can opt for only one mode of vote i.e. remote E-voting or E-voting at the AGM. In the case of voting by both the modes, vote casted through remote E-voting will be considered as final and E-voting at AGM will not be considered.

The Chamber has appointed Dr. S. Chandrasekaran (CP: 715), Senior Partner and failing him, Mr. Rupesh Kumar Agarwal (CP: 5673), Managing Partner, M/s Chandrasekaran Associates, as the scrutinizer for conducting the e-voting and remote e-voting process in accordance with the provisions of the Act and the Rules made thereunder, in a fair and transparent manner.

In case of any query or grievances relating to remote e-voting may contact Ms. Shivani Gupta, Deputy Secretary at shivani.gupta@phdcci.in / 9810959998 or Ms Khushboo Gautam, Executive Officer at khushboo.gautam@phdcci.in/ 9910319410 at PHD House 4/2 Siri Institutional Area August Kranti Marg New Delhi 110016. Further members may also refer to the frequently Asked Questions (FAQ's) for members relating to e-voting and e-voting user manual for members available at the download section of www.evotingindia.com.

For and on behalf of
PHD Chamber of Commerce and Industry
Sd/-
Saurabh Sanyal
Secretary General

Date: 14th September 2021
Place: Delhi

www.readwhere.com